रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/नई परि./सा./पीआरओपी और एपीपीआर/मा.सं./ सीकेएसआरयू./ 318/2023/37 दिनांक 21 अप्रैल 2025

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न अनुसूची ए कंपनी, **सीएसएल कोलकाता शिप रिपेयर यूनिट (सीकेएसआरयू) कोलकाता** के लिए अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारी के निम्नलिखित पद को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है: -

I. पद का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव:-

तालिका 1

पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारी (यांत्रिकी)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री।	**अनिवार्य:** योग्यता प्राप्त करने के बाद, निम्नसूचित में न्यूनतमदो वर्षों का अनुभव हो : • पोत निर्माण कंपनी या • पोत मरम्मत कंपनी या • समुद्री संबंधी कंपनी या • पत्तन या • इंजीनियरिंग कंपनी या • सरकारी कंपनी या स्थापना या • अर्ध-सरकारी कंपनी या स्थापना **वांछनीय:** क) कंप्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने की दक्षता एवं अनुभव । ख) हिंदी बंगाली में संवाद / करने की क्षमता।

II. महत्वपूर्ण तिथि:

ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ	**: 21 अप्रैल 2025**
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	**: 12 मई 2025**

III. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण:

तालिका 2

अनारक्षित	अ.जा.	कुल
2	1	3

क) सीएसएल अपनी आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या किसी भी रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ख) बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

IV. अनुबंध की अवधि व तैनाती का स्थान:

क) अनुबंध की अवधि परियोजना आवश्यकताओं और व्यक्तिगत प्रदर्शन के अधीन **पांच वर्ष के लिए है।**

ख) पोस्टिंग सीएसएल कोलकाता शिप रिपेयर यूनिट (सीकेएसआरयू) / किसी अन्य सीएसएल यूनिट / सीएसएल द्वारा वांछित किसी भी परियोजना स्थल पर होगी। हालांकि, परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवारों को सीएसएल की विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। पद पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या जहाज पर या भारत के किसी भी हिस्से या विदेश में किए गए किसी भी यूनिट / कार्य स्थल / परियोजना में सेवा करने की बाध्यता होती है।

V. पारिश्रमिक:

क) सभी पदों हेतु पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 3

अनुबंध अवधि	समेकित वेतन (प्रति महीने)	काम के अतिरिक्त घंटों केलिए क्षतिपूर्ति (प्रति महीने)
प्रथम वर्ष	₹ 46,000/-	₹ 3000/-
द्वितीय वर्ष	₹ 48,000/-	
तृतीय वर्ष	₹ 50,000/-	
चौथे वर्ष	₹ 52,000/-	
पांचवा वर्ष	₹ 54,000/-	

VI. आयु :

क) **पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा 12 मई 2025 तक 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी अर्थात आवेदकों का जन्म 13 मई 1995 को या उसके बाद होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी।**

ख) अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित पदों पर आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

ग) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी, जिसकी गणना वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाकर तथा उसमें तीन वर्ष जोड़कर की जाएगी, जो अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।

VII. <u>चयन की रीति :</u>

क) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट तैयार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और केवल ऐसे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

ख) ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, शॉर्टलिस्टिंग के लिए CSL कोलकाता में वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। यदि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाती है, तो अंकों को केवल शॉर्टलिस्टिंग के लिए माना जाएगा, न कि रैंक सूची तैयार करने के लिए।

ग) चयन की विधि पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से होगी। केवल वे उम्मीदवार जो प्रमाणपत्र सत्यापन को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उन्हें पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन और व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन और व्यक्तिगत साक्षात्कार कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड-कोलकाता शिप रिपेयर यूनिट (CKSRU) में आयोजित किया जाएगा। अंतिम चयन के लिए निम्नलिखित मापदंडों को अंक दिए जाएंगे:

- ➢ कार्य अनुभव के आकलन के लिए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन - 80 अंक
- ➢ व्यक्तिगत साक्षात्कार - 20 अंक

कुल – 100 अंक

घ) पदों के लिए रैंक सूची उम्मीदवारों द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में प्राप्त अंक रैंक सूची के क्रम को निर्धारित करने का आधार होंगे। इसके बाद बराबरी की स्थिति में, आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता तय की जाएगी।

VIII. शर्तें:

क) आरक्षण

क) आरक्षण पर भारत सरकार के निर्देश लागू होंगे।

ख) अनुसूचित जाति से संबंधित आवेदकों को राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में वैध हालिया *सामुदायिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत* करना होगा, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो, अन्यथा आरक्षित पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा, तथा इस श्रेणी के लिए लागू अन्य रियायतों या छूटों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

ग) बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, विकलांगता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में इस आशय का वैध विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

ख) योग्यता

क) पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण/राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

ख) जिन आवेदकों के पास निर्धारित योग्यताओं में से किसी के समकक्ष योग्यताएं हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसे प्रमाण पत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग) किसी आवेदकों को पदों केलिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है । कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं । यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा । फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड निर्धारित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने केलिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है ।

ग) अनुभव

क) **उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि 12 मई 2025 तक मानी जाएगी।**

ख) पदों के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से पारिश्रमिक सहित प्रशिक्षण को अनुभव माना जाएगा। **हालाँकि, प्रति माह समेकित पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए ऐसे प्रशिक्षण को अनुभव नहीं माना जाएगा।**

ग) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए केवल कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों या समकक्ष स्थिति वाली विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्रों पर ही विचार किया जाएगा।**

घ) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में,कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश /प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं । **पिछले रोज़गार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए** । उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने केलिए भी सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे के चयन केलिए विचार नहीं किया जाएगा ।

ङ) **पंजीकृत कंपनियों द्वारा लगे ठेकेदारों (स्वामित्व वाली फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव को ठेकेदार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार पर माना जा सकता है । ऐसे आवेदकों को ईएसआई/इपीएफ विवरण जैसे अन्य प्रमाणों के साथ अपने अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।**

च) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति **प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत** करना चाहिए । जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र / बुक में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए । योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए । उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

छ) **जो इस रिक्ति अधिसूचना की तिथि अनुसार सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध के अंतिम वर्ष में है, वे भी अन्य सभी अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन आवेदन करने केलिए पात्र हैं । जो सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध के पहले वर्ष या दूसरे वर्ष में है, वे समान पदों केलिए आवेदन करने के पात्र नहीं है।**

ज) आवेदकों को स्पष्ट रूप से किए गए कार्य की प्रकृति और कर्तव्यों, संबंधित कार्यों में संभाली गई जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान प्रमाण के रूप में अनुभव प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

घ) <u>आवेदन शुल्क :</u>

क) आवेदन शुल्क ₹ 400/- (गैर-वापसीयोग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/वॉलेट/यूपीआई आदि) का उपयोग करके प्रेषित किया जाना चाहिए, जिसे 21 अप्रैल 2025 से 12 मई 2025 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ख) **अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है ।** उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है ।

ग) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित लोगों को छोडकर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा ।

ङ) <u>आवेदन कैसे करें</u>

क) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले **www.cochinshipyard.in** (**कैरियर पृष्ठ→सीकेएसआरयू, कोलकाता)** लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू को पढना चाहिए। आवेदन दो चरण होते हैं – **एक बार पंजीकरण और लागू पद केलिए आवेदन प्रस्तुत करना** । आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए । एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा ।

ख) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदक **SAP** ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण कर सकते हैं और अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की सुविधा **21 अप्रैल 2025** से **12 मई 2025** तक वेबसाइट **www.cochinshipyard.in (करियर पेज→ CKSRU, कोलकाता)** के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। **<u>सीधे या किसी अन्य तरीके से जमा किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।</u>**

ग) आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाणपत्र और एक हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया है अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

घ) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। **ऑनलाइन माध्यम से अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के बाद आवेदन में दिए गए डेटा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।**

ङ) इस विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार आवेदन सभी तरह से पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/वापस लिए गए आवेदन/ड्राफ्ट स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।** आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने पर, आवेदन की स्थिति "प्रक्रिया में" के रूप में दिखाई जाएगी। आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार को My Applications में लॉग इन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन की स्थिति **"प्रक्रिया में"** है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

च) **ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदकों को अपने संदर्भ के लिए सिस्टम द्वारा जनरेट की गई अद्वितीय पंजीकरण संख्या वाले ऑनलाइन आवेदन की सॉफ्ट कॉपी/प्रिंटआउट अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, अद्वितीय पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफल जमा होने पर ही प्राप्त की जाएगी।** सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार के लिए ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

छ) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट/प्रमाणपत्र/आवेदन शुल्क डीडी/चालान/चेक के रूप में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड/सीकेएसआरयू को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

ज) आवेदन जमा करने के उद्देश्य से वेबसाइट **21 अप्रैल 2025** से चालू रहेगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **12 मई 2025** है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफ़िक से बचने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन जमा करने में देरी हो सकती है, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे CSL वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन जमा कर दें। **जो लोग आवेदन की अंतिम तिथि पर आवेदन करते हैं, उन्हें अंतिम तिथि को 1600 बजे के बाद SAP आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता / तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।**

च) **सामान्य**

क) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए जारी रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।**

ख) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा :- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।

क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और
   i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या
   ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या
   iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है;

ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनीमूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित ; या

घ) कार्मिक, जो अप्रैल14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता ; या

च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो ।

ग) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है,और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल **career.cksru@cochinshipyard.in**के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीकेएसआरयू निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित

जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

ङ) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।**

च) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि केलिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

छ) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ज) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट **www.cochinshipyard.in** के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीकेएसआरयू, कोलकाता)** के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी । उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट **(कैरियर पृष्ठ→सीकेएसआरयू, कोलकाता) को बार- बार देखें।**

झ) केवल आवेदन प्रस्तुत करना, कॉल लेटर जारी करना और चयन प्रक्रिया में उपस्थित होना, आवेदक को उम्मीदवारी स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं देगा या इसे पात्रता मानदंड को पूरा करने की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है या यह नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोजगार के लिए किसी भी दावे का हकदार नहीं बनाएगा।

ञ) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच से गुजरना होगा। ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांची जा सकती है और उम्मीदवार की नियुक्ति मेडिकल फिटनेस के प्रमाणीकरण के अधीन हो सकती है।

ट) सीएसएल, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार के कारण वेतन/छुट्टी वेतन/ग्रेच्युटी/पेंशन अंशदान आदि के कारण कोई देयता वहन नहीं करेगा।

ठ) पद के लिए रैंक सूची बनाए रखी जाएगी और रैंक सूची की वैधता अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने के लिए सलाह दी गई उम्मीदवारों की सूची से, या उसी पद के लिए नई अधिसूचना जारी होने तक। रैंक सूची तब संचालित की जाएगी जब रैंक सूची से शामिल होने की सलाह दी गई उम्मीदवार के शामिल न होने

या रैंक सूची से चुने गए उम्मीदवार के बाद में अलग होने के कारण कोई रिक्ति होती है। रैंक सूची का उपयोग सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमोदन के साथ रैंक सूची की वैधता के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को भरने के लिए भी किया जा सकता है।

ड) इस अधिसूचना में दर्शाई गई पदों की संख्या मौजूदा आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग होगी, तथा रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के विवेक पर उस रैंक सूची से भरा जा सकता है।

ढ) उपरोक्त या किसी अन्य शर्त के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यकता होती है, तो सीएसएल भर्ती प्रक्रिया को प्रतिबंधित/बदलने/रद्द करने/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ण) चयनित अभ्यर्थी को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के उपयोग के संबंध में सीएसएल नीति का अनुपालन करने का वचन देना आवश्यक है।

त) आवेदन प्रस्तुत करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति माना जाएगा।

थ) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज परिणाम प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखे जाएंगे।

द) इस विज्ञापन और/या इसके प्रत्युत्तर में किसी आवेदन और उसके बाद की चयन प्रक्रिया से उत्पन्न किसी दावे या विवाद के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल एर्नाकुलम के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/फोरमों में ही शुरू की जा सकती है और ऐसे न्यायालयों/प्राधिकरणों का एकमात्र और अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

ध) इस विज्ञापन में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट पर ही दिया जाएगा।

न) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और आगे स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया career.cksru@cochinshipyard.in ईमेल से संपर्क करें।

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"

"केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।"

ह/-
महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रबंधन)